B - II
L - 35
I. Polity

वित्तीय विधेयक (Financial Bills)

- संविधान के अनुच्छेद-117 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है जिसकी दो श्रेणियाँ हैं
- पहली श्रेणी के वित्तीय विधेयक में धन विधेयक (अनु-110) की कोई एक विषय वस्तु शामिल होती है परन्तु इसमें इसके अतिरिक्त समान्य विषय का भी समावेश होता है।

इसलिए वित्तीय विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में भी धन विधेयक और सामान्य विधेयक की प्रक्रिया का मिला-जुला प्रयोग किया गया है। इस विधेयक के धन विधेयक वाले भाग को पारित करने की प्रक्रिया निम्न लिखित है-

(i) लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है।

परन्तु इस विधेयक के अन्य भाग को पारित करने की प्रक्रिया सामान्य विधेयक की भाँति है जैसे

(i) विधेयक पर राज्यसभा की समान शक्ति होगी।

(ii) संयुक्त बैठक होगी।

(iii) राज्यसभा को विधेयक में संशोधन का अधिकार होगा, विधेयक पर 14 दिन की समय सीमा लागू नहीं होगी।

KGS IAS
Scanned by CamScanner

वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी

- इस विधेयक मे (अनु० 110) के धन विधेयक का कोई भी विषय शामिल नही होता परन्तु धन विधेयक जैसा प्रतीत होता है इसलिए वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी में भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान होता है।

इसलिए इसको पारित करने की प्रक्रिया में भी धन विधेयक की कोई प्रक्रिया लागू नही होती अपितु प्रक्रिया में एक तत्व ऐसा है जो धन विधेयक की प्रक्रिया के निकट प्रतीत होता है जिसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर विचार के लिए अनुशंसा की जायेगी।

इस विधेयक को पारित करने की समूची प्रक्रिया सामान्य विधेयक की है-

(i) विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं इसलिए संयुक्त बैठक हो सकती है।

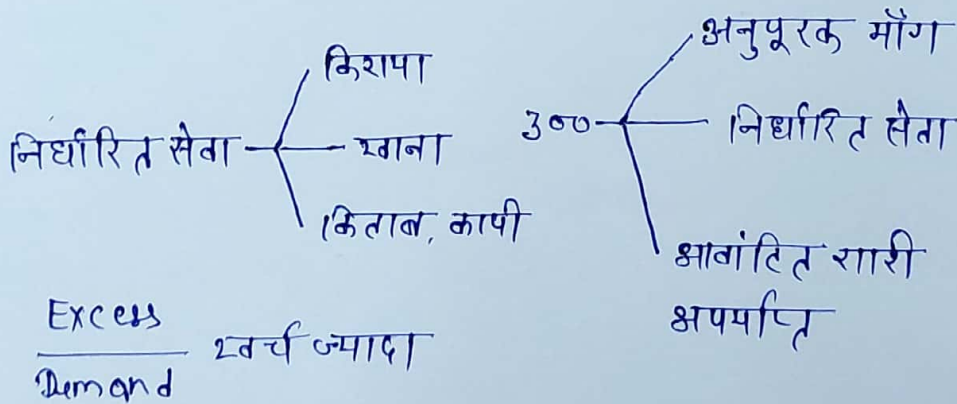

Excess Demand — खर्च ज्यादा

Scanned by CamScanner

• इस खर्च की अनुमति संसद से अगले वित्तीय वर्ष में ली जा सकती है।

नवीन सेवा → खर्च अतिरिक्त additional Demand
→ विशेष प्रयोजन - Exceptional Demand

अपवादानुदान

प्रत्यानुदान → खर्च संसद को नहीं बताया जा सकता
→ विवरण देना संभव नहीं
→ संसद के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला खाली चेक

[बजट पारित हो गया]

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय शासन में सांसद की व्यक्तिगत और समूहिक दोनों भूमिकाऐं होती हैं, व्यक्तिगत भूमिका के अन्तर्गत सांसद किसी मंत्री से सदन में प्रश्न पूछता है सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाता है अथवा जनहित को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- सामूहिक रूप में सदन यह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही में कोई बांधा न हो और न सदन की किसी कार्यवाही को अनधिकृत रूप में प्रकाशित नही किया जाएगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदन की कार्यवाही मे बांधा उत्पन्न कर रहा है अथवा संसदीय समितियों की कार्य को प्रतिबंधित कर रहा है उसे सदन दंडित कर सकता है।
- संविधान में विशेषाधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद-105/194 में उल्लेख है जिसके अनुसार -

(i) सांसद या विधायक द्वारा सदन के समक्ष दिए गए किसी वक्तव्य के लिए दोषी नहीं माना जाएगा।
(ii) मतदान के लिए उन्हे किसी भी न्यायलय के समक्ष उत्तरदायी नही ठहराया जाएगा।

विशेषाधिकारों का लिपिबद्ध न होना

- संविधान के अनु० 105/194 में विशेषाधिकारों का केवल दो ही प्रकार उपलब्ध है क्योंकि संविधान में यह उल्लेखित किया गया

Scanned by CamScanner

कि सांसदो को वे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो इंग्लैंड के सांसदो को प्राप्त है लेकिन 44वाँ संविधान संशोधन से इंग्लैंड की संसद का नाम हटा दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि सांसदो को मिलने वाले विशेषाधिकार समय-समय पर संसद के द्वारा ही निर्धारित होंगे।

- इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है और किसी भी विशेषाधिकार हनन मामले को इसी समिति को सौंपा जाता है और ठीक इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में भी समितियों का गठन किया गया है।

संसदीय विशेषाधिकार और नागरिकों के मूलअधिकार

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

- ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता का विचार पाया जाता है इसलिए भारत में ब्रिटेन की भाँति विशेषाधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते और उच्चतम न्यायालय ने केशवसिंह वाद में कहा कि संविधान में यदि संसदीय विशेषाधिकार है तो न्यायालयों को जीवन के अधिकार की रक्षा की भी शक्ति दी गई है और संसदीय विशेषाधिकारों के नाम पर न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित नहीं किया जा सकता।
- लेकिन न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि संसदीय विशेषाधिकार अनु० 105/194 नागरिकों की

Scanned by CamScanner

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [19(1)(a)] के बीच संघर्ष की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

संसदीय विशेषाधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन

- संसद विशेषाधिकारों को लिपिबद्ध अथवा संहिताबद्ध नही कर रही है क्योंकि यदि विशेषाधिकारों को लिखित दिया गया तो इसे विधि के रूप में स्वीकार किया जायेगा जिस पर न्यायालय की स्वभाविक पहुँच बन जायेगी क्योंकि विधि की व्याख्या का अन्तिम अधिकार न्यायालय को ही है।
- संसद के द्वारा शक्ति पृथक्करण का हवाला देकर यह कहा जाता है कि संसद के किसी पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य और संसद द्वारा अपने प्रक्रियाओं के संचालन के निर्धारण को न्यायालय में कभी चुनौती नही दी जायेगी। (अनु० 122/212)
- लेकिन न्यायालय ने यह पुनः कहा कि संविधान मे संसदीय सर्वोच्चता नही है पर संसद को प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है लेकिन यह प्रक्रिया मनमाना और अवैध नही होनी चाहिए और वर्तमान में स्पीकर के द्वारा किए गए कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन हो रहा है इसलिए महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी गई है।

Scanned by CamScanner